अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या– 209/20-21 209/20-21(VI) | अभियुक्ति

आदेश फलक

दिनांक

13/09/2020

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित– श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच परम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– जितपुरसी थाना नं0– 129 खाता संख्या– 10 प्लॉट संख्या– 519 रकबा– 2.05 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– IV के पृष्ठ संख्या– 470 पर .... के नाम से जमाबंदी रैयत मोती तुरी

कायम है।

हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता हैं कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 19/09/2020 को उपस्थापित करें।

09/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतू अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजे।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या-............................/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

बनाम् मोती पुरी
पिता- स्व॰ जानकी पुरी
साकिम सियलगाडा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मौजा- सियलगाडा थाना नं०- 129 खाता नं०- 10 खेसरा नं०- 519 रकबा- 20 डी॰ से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VI के पंजी II भाग IV के पृष्ठ 470 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :- ....

स्थान :- ....